

दिनांक



10/5/22

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधि०
उप नहीं। अपीलान्ट के अधिवक्ता को
रुक-रुक कर बार-बार आवाज लगाई
गई। सायं 5:50 का समय हो चुका
है। अपीलान्ट के अधिवक्ता उप नहीं
हूए हैं। अब: ऐसी स्थिति में अपील
अपीलान्ट अदम हाजिरी, अदम पैरवी
में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्दिष्ट
दशित कर नम्बर से कम की जाकर
बादसकमिल जिला अभिलेखागार में जमा
करवाई जावे। आदेश सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला क्लर्क (सतकर्ता)
श्रीगंगानगर